

# जयपुर विकास प्राधिकरण

## कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 231 वीं बैठक दिनांक 9.10.2015 को प्रात 10.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर
2. श्रीमति लंदम शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर
3. श्री एम.एस. रत्नू, अतिरिक्त आयुक्त ( पश्चिम एव भूमि ), जविप्रा, जयपुर
4. श्री नीरज तिवाड़ी, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री चन्द्र शेखर पाराशर, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक ( मास्टर प्लान )
2. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, ( बीपीसी ले आउट प्लान )
3. श्री भागीरथ हावा , उपायुक्त जोन -10
4. श्री धर्मपाल सिंह, उपायुक्त जोन -14
5. सहायक नगर नियोजक, जोन-6,

### एजेण्डा संख्या:-1

231/9.10.2015

विषय:- बीपीसी (एलपी) की बैठक संख्या 230 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि हेतु।

एजेण्डा संख्या 4 ( जोन 8) के संबंध में उपायुक्त जोन द्वारा पत्रावली पर ( पैरा संख्या 221/एन ) यह आपत्ति प्रकट की गई है कि 1705.36 वर्गमीटर क्षेत्र का नियमन नहीं किया जा सकता है तथा बिना नियमन के इस भू-भाग का ( पूर्व में जारी पट्टा विलेख क्षेत्रफल 17488.75 वर्गमीटर में ) पुर्नगठन नहीं किया जा सकता है , अतएव इस संबंध में पूर्व में लिये गये निर्णय निरस्त किया जाता है।

समिति द्वारा शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।



एजेण्डा संख्या:-2 ( जोन-12 )

231/09.10.2015

**विषय:-** जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में योजनाओ व एकल पट्टे के प्रकरणों में सड़क की चौड़ाई के लिए पॉलिसी बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.8.2015 के बिन्दु संख्या (ब) में " 12 मीटर चौड़ी बी टी रोड ( पक्की सडक )" एवम बिन्दु संख्या ( स ) में " निम्नतम न्यूनतम पहुंच मार्ग 12 मीटर " उल्लेखित है। अतः 12 मीटर बी टी रोड जयवा 12 मीटर पहुंच मार्ग रखा जावे, इस बाबत राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त किये जावें।

एजेण्डा संख्या:-3 ( जोन-5 )

231/09.10.2015

**विषय:-** पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना 10-बी में भूखण्ड संख्या बी-175 के दक्षिणी ओर स्वीकृति सुविधा क्षेत्र के भू-भाग का अन्तिम उपयोग पार्क निर्धारण किये जाने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या बी 175 के दक्षिण की ओर अवस्थित सुविधा क्षेत्र का अंतिम उपयोग End Use पार्क किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-4 ( जोन-5 )

231/09.10.2015

**विषय:-** पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना 10-बी में भूखण्ड संख्या बी-151 व 259 के मध्य स्वीकृत सुविधा क्षेत्र के भू-भाग का अन्तिम उपयोग निर्धारण किये जाने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या 151 व 259 के मध्य में अवस्थित सुविधा क्षेत्र का अंतिम उपयोग End Use उत्तरी भाग का पार्क, मध्यवर्ती भाग का सामुदायिक केन्द्र व दक्षिणी भाग का सुविधा क्षेत्र किये जाने का निर्णय लिया गया।



एजेण्डा संख्या:-5 ( जोन-5 )

231/09.10.2015

**विषय:-** योजना विश्वेश्वरैया नगर (न्यू पिकसिटी गृ.नि.स.स.) व योजना विश्वेश्वरैया नगर विस्तार (अपोलो गृ.नि.स.स.) मे मध्य के सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भू-भाग का अन्तिम उपयोग पार्क निर्धारण किये जाने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर इस सुविधा क्षेत्र का अन्तिम उपयोग End Use खुदरा व्यवसाय की दुकानों हेतु अनौपचारिक व्यवसायिक ( Informal Commercial ) किया जावे, तथा जोन द्वारा इसमें खुदरा व्यवसाय की दुकानों का योजना मानचित्र/प्रस्ताव बना कर आगामी प्रोजेक्ट एंड वर्क्स कमेटी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-6 ( जोन-5 )

231/09.10.2015

**विषय:-** नवजीवन गृ.नि.स.स. की योजना पार्श्वनाथ कॉलोनी के भूखण्डो का पुर्नगठन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावित पुर्नगठन का अनुमोदन किया गया । यह प्रकरण 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्र का है अतः राज्य सरकार से स्वीकृति ली जाकर अग्रिम निष्पादन किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-7 ( जोन-6 )

231/09.10.2015

**विषय:-** श्री गणपति गृ.नि.स.स. की अनुमोदित योजना गणेश नगर में अंकित सुविधा क्षेत्र का पार्क में एण्ड यूज परिवर्तन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र का अन्तिम उपयोग End Use पार्क किये जाने का निर्णय लिया गया ।



एजेण्डा संख्या:-6 ( जोन-9 )

231/09.10.2015

**विषय:-** जोन-9 के क्षेत्राधिकार में निजी खातेदारी की आवासीय योजना शिव नगर द्वितीय में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 130 फीट x 370 फीट = 5344.44 वर्ग गज भूमि के पार्क हेतु एण्ड यूज निर्धारण बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र का अंतिम उपयोग End Use पार्क किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-9 ( जोन-9 )

231/09.10.2015

**विषय:-** ग्राम बाढ़ करोल तहसील सांगानेर योजना कुसुम विहार क्षेत्रफल 355.75 वर्ग मीटर का पुर्नगठन कर कुल क्षेत्रफल 2298.90 वर्ग मीटर के आवासीय एकल पट्टे बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26.8.2015 के अनुसार नियमन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड के दोनो पार्श्व व पीछे की ओर 9 मीटर सैट बैक दिये जाने के पश्चात भूखण्ड में निर्माण योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, अतः प्रकरण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-10 ( जोन-10ए )

231/09.10.2015

**विषय:-** निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना आफिसर्स एन्कलेव के सुविधा क्षेत्र की भूमि के एण्डयूज निर्धारण बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र का अंतिम उपयोग End Use पार्क किये जाने का निर्णय लिया गया।



एजेण्डा संख्या:-11 ( जोन-10ए )

231 / 09.10.2015

**विषय:-** आवेदक श्री राजकुमार सेठी, आनन्द एवं श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री राजकुमार सेठी द्वारा ग्राम पालडीमीणा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 30 से 42, 44 कुल किता 14 कुल रकबा 3.58 है. भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा सर्वप्रथम रिसोर्ट के लिए प्रस्तावित 18 मीटर चौड़ी एप्रोच रोड की भूमि जो कि निजी खातेदारों , जयपुर विकास प्राधिकरण तथा वन विभाग की है, के लिए संबंधितों से सहमति/अनापत्ति प्राप्त की जावे। प्रकरण में 18 मीटर चौड़ी एप्रोच रोड की स्पष्ट उपलब्धता होने पर ही अग्रिम विचार किया जा सकेगा।

एजेण्डा संख्या:-12 ( जोन-12बी )

231 / 09.10.2015

**विषय:-** निजी खेतदारी की भूमि ग्राम जैतपुरा त0 चौमू के खसरा नम्बर 1950 / 1, 1950 2, 1951 / 1, 1951 / 4, कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 2489.40 वर्गमीटर भूमि का फ्लेटेड ग्रुप इन्डस्ट्रीज (औद्योगिक) का एकल पट्टा जारी किया गया था, के उपविभाजन बाबत।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार फ्लेटेड ग्रुप इन्डस्ट्रीज के जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पट्टा विलेख के भूखण्ड का उपविभाजन अनुमोदन किया गया। प्रकरण 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्र का है, अतएव राज्य सरकार से स्वीकृति ली जाकर निस्तारण किया जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में रीको के विनियमानुसार सेंटबैक व अन्य पैरामीटर्स प्रावधानित किये जाने का निर्णय लिया गया।



एजेण्डा संख्या:-13 ( जोन-12बी )

231 / 09.10.2015

**विषय:-** निजी खातेदार की ग्रीन सिटी योजना के मानचित्र अनुमोदित में गैर मुमकिन नाले की भूमि से अप्रोच सड़क दर्शाये जाने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना को निरस्त किया जावे एवम आवेदक निजी खातेदार से गैर मुमकिन नाले व इससे सुरक्षित क्षेत्र/ सेपटी कोरीडोर छोड़ते हुए तथा जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि पर रिप्लानिंग का संशोधित मानचित्र लिया जाकर, जारी पट्टा विलेखों के भूखण्डों के एवम निर्माण स्थिती के पूर्ण विवरण के साथ प्रकरण पुनः समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-14 ( जोन-12बी )

231 / 09.10.2015

**विषय:-** सन सिटी योजना का खसरा सुपरइम्पोज करते समय खसरा नं. 1041 गैर मुमकिन नाले को सम्मिलित करने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना को निरस्त किया जावे एवम आवेदक निजी खातेदार से गैर मुमकिन नाले व इससे सुरक्षित क्षेत्र/सेपटी कोरीडोर छोड़ते हुए तथा जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि पर रिप्लानिंग का संशोधित मानचित्र लिया जाकर, जारी पट्टा विलेखों के भूखण्डों के एवम निर्माण स्थिती के पूर्ण विवरण के साथ प्रकरण पुनः समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-15 ( जोन-14 )

231 / 09.10.2015

**विषय:-** अंसल जे.के.डी पर्ल डवलपर्स प्रा.लि. ग्राम मानपुर टीलावाला, तह, सांगानेर, गणेशपुरा एवं डाबला बुजुर्ग तह. फागी जे भूमि पर आवासीय योजना फ्लोरेन्स टाउन ब्लॉक ई व एफ का मानचित्र अनुमोदित बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार मौके पर नई हाइटेशन लाइन स्थापित हो जाने के कारण आवेदक निजी खातेदार द्वारा प्रस्तुत संशोधित योजना मानचित्र के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।



एजेण्डा संख्या:-16 ( जोन-15 )

231/09.10.2015

**विषय:-** निजी खोतदारी मैसर्स एस्मा कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड की निजी खातेदारी आवासीय योजना राजस्व ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के सुविधा क्षेत्र के एण्ड यूज के निर्धारण के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र संख्या 3 क्षेत्रफल 3321.40 वर्गगज का अंतिम उपयोग End Use सैकेण्डरी स्कूल हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया। सुविधा क्षेत्र 1 व 2 के लिए प्रस्तावित अंतिम उपयोग End Use अस्वीकृत किया गया।

एजेण्डा संख्या:-17 ( जोन-15 )

231/09.10.2015

**विषय:-** निजी खातेदारी की ग्रुप हाउसिंग योजना के सुविधा क्षेत्र के एण्ड यूज के निर्धारण के संबंध में। खसरा न. 127 से 130, 132, 419, 420, 421

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र का अंतिम उपयोग End Use सामुदायिक केन्द्र निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-18 ( जोन-15 )

231/09.10.2015

**विषय:-** निजी खातेदारी की ग्रुप हाउसिंग योजना के सुविधा क्षेत्र के एण्ड यूज के निर्धारण के संबंध में। खसरा न.418/1, 419, 421,422, 423,426, 428

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र का अंतिम उपयोग End Use सामुदायिक केन्द्र निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।




जेडा संख्या:-19 ( जोन-15 )

31/09.10.2015

विषय:- जविप्रा की पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया व निजी खातेदारी ओमेक्स सिटी मे मध्य अनुमोदित 100 फीट सडक को मौके पर उपलब्ध चौडाई 60 फीट अनुसार किये जाने बाबत ।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।


  
12/10/15  
सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति ( ले आउट प्लान )

क्रमांक :-जविप्रा/सस/बीपीसी - एल पी/2015 /डी-156 दिनांक : 12/10/2015

प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त ( पूर्व/पश्चिम /पीआरएन/एल.पी.सी/भूमि ) जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन ।
7. विशेषाधिकारी जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
9. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।

  
12/10/2015  
वरिष्ठ नगर नियोजक

भवन मानचित्र समिति ( ले आउट प्लान )